BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No.11 OF2025

In

Original Application No. 1075 OF2024

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha .....Applicant

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

INDEX

Sr. no	Particulars	Page no.
01	**Objection/Counter Affidavit to the Joint Committee Report**	1-15
02	Annexure A- to the Complaint letter sent to DM (Coordinating Agency) dated 29.05.2025	16-17
03	Annexure B- to the Complaint letter sent to ALL Respondents dated 11.06.2025	18-20
04	Annexure C- to the RTI application dated 11.6.2025	21
05	Annexure D- to the RTI Reply dated 11.8.2025	22
06	Annexure E- to the First RTI Appeal dated 08.08.2025	23-25
07	Annexure F- to the Photograf dated 09/10.09.2025	26-29

दिनांक 15.09.2025

प्रार्थी/आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा

(नरेन्द्र कुशवाहा)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No.11 OF2025
In
Original Application No. 1075 OF2024

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha …Applicant

Versus

Union of India & Ors . ..Respondents

आदेश दिनांक 26.02.2025 के अनुपालनार्थ गठित संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 26.05.2025 के विरुद्ध आवेदक कि ओर से आपत्ति।

श्रीमान् जी,

आवेदक विनम्रतापूर्वक यह आपत्ति प्रस्तुत करता है कि झाँसी नगर निगम द्वारा दिनांक 26.05.2025 को दाखिल की गई अनुपालन आख्या असत्य, भ्रामक एवं अपूर्ण है और वास्तविक तथ्यों को छुपाती है। पर बिंदुवार आपत्तिः –

1. यह कि मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2025 में उत्तरदाताओं को निर्देश दिये गये थे कि ओ.ए. 1075/2024 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के पैरा 4 अनुक्रम में आख्या प्रेषित करें।

2. यह कि उक्त आदेश के अनुक्रम में **उत्तरदाताओं ने मात्र खानापूर्ति और कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के उद्देश्य से दिनांक 10.10.2024 को समिति का गठन किया।** समिति के सदस्यों/अधिकारियों ने जानबूझकर अपने कुकृत्यों को छुपाने तथा माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने की मंशा से **झूठे, मनगढ़ंत एवं गोलमोल तथ्यों** पर आधारित अनुपालन आख्या तैयार की है। उक्त अनुपालन आख्या में प्रस्तुत तथ्यों को पुष्ट करने के लिए **झूठे एवं भ्रामक फोटोग्राफ** भी संलग्न किए गए हैं, जिससे वास्तविक स्थिति को छिपाया जा सके। इस प्रकार, उत्तरदाताओं ने दिनांक **26.05.2025** को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष **झूठे शपथ पत्र** के साथ उक्त अनुपालन आख्या प्रेषित की, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग है।

3. यह कि समिति की आख्या दिनांकित 26.05.2025 के **पैरा 3 पैराग्राफ (ख)** में कहा गया है कि नगर निगम के समस्त 60 वार्डों में कुल 971 स्थलों पर वृक्षों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य पाये

जाने की सूचना प्राप्त हुई है एवं **पैराग्राफ (ग)** में कहा गया है कि कुल 971 वृक्षों के पक्के कार्य को हटाये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक 23.11.2024 को अनुमानित लागत रु. 8,45,076/- निकाली गई तथा **पैराग्राफ (घ)** में कहा गया है कि वर्तमान में उक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जबकि वास्तविकता यह कि झांसी नगर निगम की ओर से मात्र खानापूर्ती के नाम पर **कुछ स्थानों पर मात्र 50-55 वृक्षों के तने की लगभग 6 Inch परिधि से कंक्रीट हटाकर, ईंटें लगाई गई है। जब कि मा. न्यायाधिकरण के आदेशानुसार वृक्षों के तने की एक मीटर परिधि में कंक्रीट या टाइल्स नहीं लगाना चाहिए, ताकि जड़ों को हवा, पानी और पोषक तत्व मिल सकें और पेड़ स्वस्थ रह सकें,** वर्तमान में पूरे क्षेत्र की सड़को, कॉलोनियों और विभागों में लगे वृक्ष कंक्रीट उक्त निर्माण से ढके-पटे हुए है। तथा वर्तमान वृक्षों का लगातार कंक्रीटीकरण किया जा रहे है**, जिसे उक्त फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।**

4. यह कि समिति की आख्या के **पैरा 3 पैराग्राफ (च)** में केवल भविष्य में निर्माण कार्यों में मा. न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार वृक्षों के इर्द-गिर्द 6X6 का स्थल छोड़कर कार्य कराये जाने के निर्देशित करने का उल्लेख किया गया। **जिसमें कहीं आकार के माप का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।**

5. यह कि झांसी नगर निगम की ओर से मात्र खानापूर्ती के नाम पर कुछ स्थानों पर मात्र 50-55 वृक्षों के तने की लगभग **6 Inch** परिधि से पक्के कार्य हटाये गये है। जिसे आख्या और E.A. 11/2025 में संलग्न फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।

6. यह कि समिति ने अपनी आख्या में वृक्षों के चारों ओर से हटाएं गये पक्के दायरे/ क्षेत्र की माप का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है।

7. यह कि आख्या के **पैरा 4** में भी **नारायण बाग** और **पॉलिटेक्निक कॉलेज** तथा कच्चे क्षेत्र के संबंध भ्रामक, झूठी, मनगढ़ंत और गोलमोल रिपोर्ट दी गई है।

   जब कि **नारायण बाग** के हजारों वृक्षों को काटकर दो बड़े नालों और पाथवे का निर्माण किया गया है। जिसके लिए नारायण बाग के लगभग 12X2300 मीटर (पाथवे) हरे-भरे क्षेत्र को और लगभग 15X2300 मीटर (नाला) हरे-भरे क्षेत्र को उजाड़ दिया गया है। तथा पाथवे के निर्माण के दौरान कई विशाल वृक्षों और कच्चे क्षेत्र को सीमेंटेड कर दिया था जिसके कारण वह सुख गए है। जिसके निष्पादन आवेदन में संलग्न **फोटोग्राफ** में स्पष्ट देखा जा सकता है। जिसके संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।

8. यह कि आख्या में भी **पॉलिटेक्निक कॉलेज** में काटे गये वृक्षों के संबंध भ्रामक, झूठी, मनगढ़ंत और गोलमोल रिपीट दी गई है।

9. यह कि उक्त आख्या दिनांकित 26.05.2025 में नगर निगम के समस्त 60 वार्डों में कुल 971 स्थलों पर वृक्षों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य पाये जाने की सूचना के आधार पर अल्पकालीन निविदा दिनांक 23.11.2024 के जरिये रु. 8,45,076/- धनराशि निकाल कर वृक्षों के इर्द-गिर्द पक्का कार्य हटाने का दावा किया गया था। समिति के सदस्यों/अधिकारियों ने मात्र कागज़ी खानापूर्ति कर उक्त धनराशि का बंदरबांट कर लिया था।

10. यह कि वृक्षों के पक्के कार्य हटाने के नाम पर व्यय/बंदरबांट करने और झूठा शपथ-पत्र तथा आख्या देने से संबंधी प्रकरण पर दिनांक 29.05.2025 को आवेदक ने समिति के समन्वयक (Coordinating Agency) जिलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया था। जिसे न तो शासनादेश के अनुरूप IGRS पोर्टल पर दर्ज किया गया और न ही उस पर किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही की गई है। **Annexure-A**

    जब कि शासन द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक शिकायत को IGRS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रकरण की प्रगति व निस्तारण की सूचना आवेदक को पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी रूप से उपलब्ध हो सके।

11. यह कि समिति के सदस्यों/अधिकारियों की उक्त **बंदरबांट एवं मिलीभगत** में प्रत्यक्ष संलिप्तता होने के कारण न तो प्रकरण में कोई वास्तविक एवं प्रभावी कार्यवाही की गई है और न ही आज तक वृक्षों के तनों पर किए गए **कंक्रीट युक्त अवैध निर्माणों को हटाया गया है।** यह स्पष्ट करता है कि समिति का गठन मात्र औपचारिकता एवं खानापूर्ति के लिए किया गया था, जबकि वास्तविक समस्या को नज़रअंदाज़ कर जानबूझकर पर्यावरण संरक्षण संबंधी विधानों का उल्लंघन किया गया है।**Annexure-F**

12. यह कि दिनांक 30.05.2025 को दैनिक जागरण (झाँसी संस्करण) में प्रकाशित समाचार **"लाखों रुपए खर्च कर पेड़ों का घेरा बनाने की रिपोर्ट पर उठे सवाल,डीएम से की शिकायत"** में निगम के मुख्य द्वार और पार्किंग सथ्ल पर लगे बिना घेरा के पेड़ दिखाए गये है।

लाखों रुपए खर्च कर पेड़ों का घेरा बनाने की रिपोर्ट पर उठे सवाल, डीएम से की शिकायत

- एनजीटी की आपत्ति के बाद नगर निगम ने दाखिल की रिपोर्ट
- शिकायतकर्ता का आरोप- 'महानगर में किसी पेड़ के चारों ओर नहीं बनाया गया घेरा'
- पेड़ों के तने तक बिछा डाली कंक्रीट, पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ी जगह

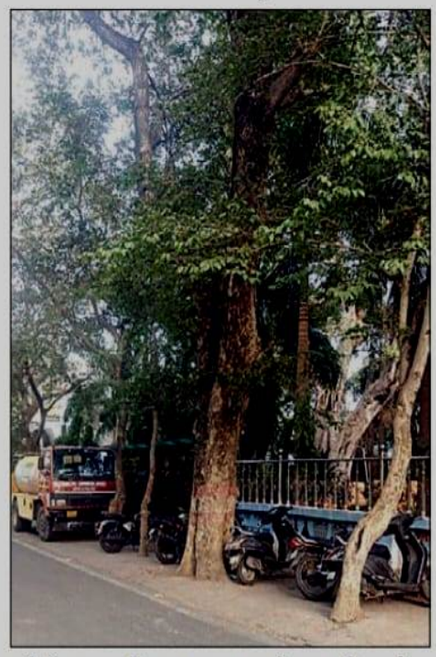

झाँसी : नगर निगम मुख्य द्वार के पास स्थित पेड़, जिसके चारों ओर नहीं बना घेरा।

नगर निगम पार्किंग स्थल पर लगा बेलपत्र का पेड़।

झाँसी : लाखों रुपए खर्च कर महानगर में 971 पेड़ों का घेरा बनाने वाली रिपोर्ट नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल कर नगर निगम फँस गई है। शिकायतकर्ता ने इस पर सवाल उठाए हैं। दावा किया है कि नगर निगम ने किसी भी पेड़ के चारों ओर घेरा नहीं बनाया है और पैसा खर्च दर्शाकर गबन किया है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई है, जबकि साक्ष्य के साथ अब एनजीटी में भी देने की तैयारी है।

महानगर को हरा-भरा रखने और पर्यावरण में हरियाली का सन्तुलन बनाने के लिए नगर निगम द्वारा बड़े स्तर पर पौधे लगवाए जाते हैं। सड़कों के किनारे भी पेड़-पौधे लगाए जाते हैं। नियमतः इन पेड़ों को खाद-पानी देने के लिए चारों ओर 1 मीटर का कच्चा घेरा छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन महानगर में अधिकांश पेड़ों के चारों ओर घेरे नहीं छोड़े गए। आरटीआइ कार्यकर्ता पिछोर निवासी नरेन्द्र कुशवाहा ने इसकी शिकायत एनजीटी में की। एनजीटी ने नगर निगम से रिपोर्ट माँगी। 26 मई को नगर निगम ने एनजीटी में रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें महानगर के 971 पेड़ों के चारों ओर घेरा बनाने का दावा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि अल्पकालीन निविदा निकालकर इस कार्य पर 8,45,076 रुपए खर्च किए गए हैं। शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुशवाहा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि नगर निगम ने 50 से 55 पेड़ों के इर्द-गिर्द घेरा बनाकर गलत रिपोर्ट एनजीटी में भेजकर पैसे का गबन किया है। उन्होंने मामले की जाँच कराते हुए कार्यवाही की माँग की है।

इन्होंने कहा

"नगर निगम ने 941 पेड़ों के घेरे बनाए हैं। इसका शपथ पत्र दाखिल किया है। अगर कोई पेड़ छूट गया है तो उसके चारों तरफ भी घेरे बनाए जाएंगे। शपथ पत्र में इसका उल्लेख किया गया है।"

● **मोहम्मद कमर**
अपर नगर आयुक्त, झाँसी

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समिति के सदस्यों/अधिकारियों ने केवल भ्रष्टाचार और अल्पकालीन निविदा के जरिये निकाली गई रु. 8,45,076/- धनराशि का बंदरबांट करने के लिये मात्र कागज़ी कार्यवाही की है।

13. यह कि आवेदक द्वारा समिति के समन्वयक (Coordinating Agency) जिलाधिकारी को दिये गये शिकायत दिनांक 29.05.2025 पर कार्यवाही न होने पर दिनांक 11.06.2025 को ई-मेल के जरिये प्रतिवादियों को पत्र दिया गया। जिस पर भी आज तक कोई जांच/कार्यवाही नहीं हुई। **Annexure-B**

14. यह कि झांसी शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों के किनारे लगे लगभग **65 प्रतिशत वृक्ष सूखकर नष्ट भी चुके हैं।** जो विगत 5 वर्षों से लगातार निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा सौंदर्यीकरण और विकास कार्यो की आड़ में किया जा रहा है। **जिसके साक्ष्य मा. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रेषित करने हेतु आवेदक/प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ऑन-लाईन आरटीआई आवेदन दायर किया।** जिसका पंजीकरण संख्या NGNJH/R/2025/60042 है। Annexure-C

15. यह कि उक्त आरटीआई का उद्देश्य यह था कि वृक्षों के संरक्षण, कंक्रीटीकरण एवं डी-कंक्रीटीकरण कार्यों पर खर्च की गई धनराशि, सम्बंधित अधिकारियों/ठेकेदारों के नाम, तथा प्रार्थी की पूर्व शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक रूप से सामने आए और नगर निगम की रिपोर्ट एवं वास्तविकता में अंतर स्पष्ट हो सके।"

"किन्तु उक्त आरटीआई आवेदन पर जन सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचनाएं छिपाने के उद्देश्य से दिनांक 11.07.2025 को पत्रांक 1026 के माध्यम से जो उत्तर दिया गया, वह अपूर्ण, भ्रामक एवं गलत दिया गया था। विशेषकर **बिंदु संख्या 08 और 09** में यह कहकर सूचना देने से मना कर दिया गया कि वर्तमान में **प्रकरण मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारधीन है सिसमें नगर निगम प्रतिवादी है। प्रकरण सम्बन्धित किसी भी सूचना को उपलब्ध कराने से आप द्वारा वाद प्रभावित किया जा सकता है। अतः प्रकरण मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित रहने तक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। Annexure-D**

16. यह कि जन सूचना अधिकारी का यह तर्क न केवल निराधार है बल्कि न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है, क्योंकि मांगी गई सूचनाएं साक्ष्य के रूप में मा. न्यायाधिकरण को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि नगर निगम के अधिकारियों एवं ठेकेदारों ने प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण सुधार की आड़ में बिना कार्य किये सरकारी धन का दुरुपयोग किया और मा. न्यायाधिकरण के समक्ष झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप प्रार्थी को बाध्य होकर दिनांक 08.08.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की

धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील दाखिल करनी पड़ी, जो वर्तमान में विचाराधीन है।" Annexure-E

17. यह कि आरटीआई आवेदन के जरिए मांगी सूचनाएं जन सूचना अधिकारी द्वारा नहीं देने और उनके तर्क/उत्तर से स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता **प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण सुधार की आड़ में बिना कार्य किये सरकारी धन का बंदरबांट करने में सह भागीदार है।** जिसके कारण उनके द्वारा सूचनाएं नहीं दी गई है।

एक पेड़ काटने / नष्ट करने से सैकड़ो पक्षियों की गई जान

18. **यह कि दिनांक 31.08.2025 को झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र में 40 वर्षीय पीपल वृक्ष काट दिया था। जिसमें सैकड़ो पक्षियों की मौत और अंडे टूट गये थे।**

इस संबंध में दिनांक 31.08.2025 को श्री गौरव (X अकाउंट @FalcondudeX) द्वारा डाली गयी पोस्ट में बताया गया कि पेड़ के कटे हुए तने के नीचे दबे लगभग 200 पक्षियों को निकालकर वन विभाग को सौंपा गया।

19. यह कि उक्त अमानवीय घटना की खबर दिनांक 01.09.2025 को दैनिक जागरण (झाँसी संस्करण) में प्रकाशित समाचार **"बीट से कारें गंदी न हों इसलिए कटवा दिया पेड़, 300 पक्षियों की मौत"** में दिखाया गया कि लगभग 40 वर्षीय पीपल वृक्ष की कटाई से लगभग 300 पक्षियों की मृत्यु और 500 से अधिक अंडे नष्ट हो गए।

बीट से कारें गंदी न हों इसलिए कटवा दिया पेड़, 300 पक्षियों की मौत

जागरण संवाददाता, झांसी

कारें बीट (पक्षियों का मल) से गंदी न हों, इसके लिए कुछ लोगों ने 40 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ के साथ ही उसमें आसरा लिए सैकड़ों पक्षियों की जिंदगी पर भी कुल्हाड़ी चला दी। पेड़ के साथ इंसानियत भी शर्मसार होकर धराशाई हो गई, जब डालियों के बीच दबकर जान गंवाने वाले 300 से अधिक पक्षियों के शव जहां-तहां बिखरे दिखाई दिए। वन विभाग की टीम के साथ ही समाजसेवियों ने रेस्क्यू कर 200 से अधिक पक्षियों के बच्चों को बाहर निकाला और सिमरधा बांध पर छोड़ा।

प्रेमनगर क्षेत्र स्थित प्यारे लाल का हाता में पीपल का पेड़ लगा हुआ था। इस विशालकाय वृक्ष पर कई प्रजाति के पक्षियों ने घोंसला बना लिया था। घोंसलों में पक्षियों के अलावा छोटे-छोटे बच्चे व

झांसी : पेड़ काटे जाने के बाद मौके से बचाए गए पक्षियों के बच्चे। जागरण

अंडे भी थे। बताया जा रहा है कि पेड़ के आसपास रहने वाले गाड़ियां रखते थे। पक्षी के बीट से गाड़ियां गंदी हो जाती थीं। इसी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए रविवार को पेड़ को काट डाला। कटे पेड़ से दबकर जहां लगभग 300 पक्षियों की मौत हो गई। साथ ही पक्षियों के लगभग 500 अंडे भी टूट गए। रेक्स्यू के दौरान कई बच्चे घायल मिले, जिनका उपचार कराया गया।

उक्त अत्यंत दुखद और अमानवीय घटना यह दर्शाती है कि एक वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि हजारों पक्षियों का घर और आश्रय भी होता हैं।

20. यह प्राकृतिक धरोहर तथा पर्यावरण संतुलन के प्रतीक वृक्षों को निर्दयतापूर्वक काटा और कंक्रीटीकरण कर सुकाया जा रहा है। इन वृक्षों में सैकड़ों पक्षियों का घर और आश्रय

होता है, जिन्हें काटने और सुखाने पर न केवल उनका जीवन संकट में पड़ता है, बल्कि जैव-विविधता और पर्यावरण संतुलन भी बुरी तरह प्रभावित होता है। जैसा कि उक्त फोटो में दिख रहा है।

उक्त क्षेत्र में पेड़ों की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण एक ही पेड़ पर हजारों पक्षियों अपना घर बनाया था।

ऐसी घटनाओं को देखकर पर्यावरण प्रेमियों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। वृक्ष केवल हरियाली ही नहीं, बल्कि जीवनदायिनी प्राणवायु, छाया तथा आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का आधार हैं। इनके संरक्षण का

दायित्व प्रशासन और समाज दोनों पर समान रूप से है, किंतु लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण प्रकृति की इस अमूल्य संपदा का क्षरण हो रहा है। उक्त घटना का वीडियो सोशल मीडिया X अकाउंट @jhansi_news के दिये गये लिंक पर देखा जा सकता है। https://x.com/jhansi_news/status/1962012626218811662?t=I1VeN41I32iU_d5UqQk_Xw&s=19

अतिरिक्त कथन (Additional Submissions)

21. यह कि राज्य वन नीति 1998 के तहत झांसी शहर की सड़कों, कालोनियों और विभागों में विकसित हरित पट्टिका और वृक्षारोपण में लगाये गये पीपल, बरगद, नीम आदि के वृक्षों को काटा, वृक्षों के तनों और कच्चे क्षेत्र को डामर, सीमेंट, एपेक्स, टाइल्स आदि से ढक एवं कंक्रीटीकरण कर दिया है। जिससे झांसी शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों के किनारे लगे लगभग 65 प्रतिशत वृक्ष सूखकर नष्ट भी चुके हैं। जो विगत 5 वर्षों के लगातार निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा सौंदर्यीकरण और विकास कार्यो की आड़ में किया जा रहा है।

22. यह कि विगत 5 वर्षों से लगातार झांसी क्षेत्र में काटे और सुखाएं जा रहे वृक्षों के प्रकरण में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 48A एवं 51A(g) का साथ ही उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा मा० एनजीटी के पूर्व आदेशों का घोर उल्लंघन हो रहा है।

23. यह कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत वृक्षारोपण, संरक्षण, वर्षा जल संचयन और हरित पट्टी विकास हेतु दिए गए निर्देशों का पिछले 5 वर्षों में घोर उल्लंघन हुआ है।

24. यह कि वृक्षों के संरक्षण और देखभाल "ट्री गार्ड, घेरा बनाने, खाद-पानी, गुड़ाई आदि" के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा पिछले 5 वर्षों में करोड़ों रुपये का बंदरबांट किया गया

25. यह कि उक्त पकरण में **क्षतिपूर्ति और सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता-** नष्ट वृक्षों के स्थान पर पुनः वृक्षारोपण, दोषी अधिकारियों एवं ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति वसूल कर वृक्षों का वैज्ञानिक पद्धति से डी-कंक्रीटीकरण और रिक्त स्थानों पर पुनः वृक्ष लगाकर वृक्षों की सुरक्षा के लिए ट्री-बेस बनाना तथा वृक्षों का सर्वेक्षण, पंजीकरण और जियो-टैगिंग कराना अत्यंत आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ पुनः न हों।

26. यह कि सरकार की भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिगं हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली तथा पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण सम्बन्धी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये जाते रहे है। जिनके अनुक्रम में संबंधित विभागों और नगर निगम द्वारा बृहद स्तर पर पूर्व में वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु कार्य किये गये थे। उन शासनादेशों का विगत 5 वर्षों के दौरान पालन नहीं किया जा रहा है।

27. यह कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेशों में संबंधित विभागों और नगर निगम को बृहद स्तर पर वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये है। जिनका निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर विगत 5 वर्षो से पालन नहीं किया जा रहा है।

28. यह कि शासनादेशों के अतिरिक्त माननीय शीर्ष न्यायालय और माननीय न्यायाधिकरण द्वारा भी समय समय पर अपने आदेशों में भी वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे है। जिनका निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा विगत 5 वर्षो से पालन नहीं किया जा रहा है।

29. यह कि विगत 5 वर्षों से निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त शासनादेशों एवं आदेशों में दिये गये दिशा निर्देश के विपरीत शहर की कालोनियों, कार्यालयों,

विद्यालयों और सड़कों पर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यो की आड़ में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हुए वृक्षों का कंक्रीटीकरण और डी-कंक्रीटीकरण कर सरकारी करोड़ों रुपयों का बंदरबांट किया जा चुका है।

30. यह कि ऐसी स्थिति में शासनादेशों एवं आदेशों में दिये गये दिशा निर्देश के विपरीत सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य करने व वृक्षों के थाले बनाने, वृक्षों को पानी, खाद डालने, गुड़ाई करने और ट्री-गार्ड लगाने के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट करने वाले दोषी नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों से बंदरबांट किये गये सरकारी धन की वसूली, वृक्षों की हुई हानी की भरपाई और वृक्षों को डी-कंक्रीटीकरण कराकर वृक्षों के थाले बनाने की कार्यवाही किया जाना अति-आवश्यक है। ताकि अन्य कोई दोबारा ऐसे कुकृत्य करने की कोशिश न करें।

31. यह कि भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटने और कंक्रीटीकरण के कारण रिक्त हुई भूमि या स्थान पर पुनः वृक्षारोपड़ कराया जाना अति-आवश्यक है।

32. यह कि झांसी शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों किनारे लगे वृक्ष जो नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा किये गये कुकृत्य के कारण सूखकर नष्ट हो चुके है, के रिक्त स्थानों पर पुनः वृक्ष लगाने एवं सुरक्षा करने हेतु आने वाले व्यय की भरपाई एवं वसूली दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों से किया जाना अति-आवश्यक है।

33. यह कि झांसी शहर को प्रदूषण मुक्त कराने, पर्यावरण सुधार एवं नगर को हरित एवं सुन्दर बनाने के लिए शासनादेशों एवं माननीय शीर्ष न्यायालय और मा. एनजीटी के नियमों, आदेशों, गाइडलाइन के अनुसार शीघ्र झांसी शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों के कच्चे क्षेत्र व किनारों पर वृक्षारोपण और वृक्षों की सुरक्षा व संरक्षण किया जाना अति-आवश्यक है।

34. **नीतियाँ व शासनादेश, पर अनुपालन शून्य-** भू-जल संरक्षण, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी शासनादेशों का पिछले 5 वर्षों से पालन नहीं हुआ।

35. **राज्य वन नीति, 1998 व हरित पट्टिका-** राज्य वन नीति 1998 और शासनादेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टिका विकसित करनी थी, किंतु उसका पालन नहीं हुआ।

36. **सौंदर्यीकरण की आड़ में कंक्रीटीकरण-** नगर निगम ने वृक्षों के तनों और जड़ों पर सीमेंट, डामर, टाइल्स आदि लगाकर कंक्रीटीकरण कर दिया, जिससे लगभग 65% वृक्ष नष्ट हो गए।

37. **बहु-वर्षीय शासनादेशों की निरन्तर अवहेलना-** शासनादेशों का भी पालन नहीं हुआ, जिनमें वृक्ष संरक्षण और हरित पट्टी विकास के स्पष्ट निर्देश थे।

38. **वृक्ष-जनगणना/पंजीकरण का अभाव-** नगर निगम ने वृक्षों की गणना, पंजीकरण और जियो-टैगिंग नहीं की, जिससे अवैध कटाई और नुकसान रोकने में असफल रहा।

39. **लोकधन का दुरुपयोग: कंक्रीटीकरण और डी-कंक्रीटीकरण-** सौंदर्यीकरण और डी-कंक्रीटीकरण कार्यों में करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हुआ।

40. **रख-रखाव मदों में वित्तीय अनियमितताएँ-** वृक्षों के थाले बनाने, खाद-पानी देने, ट्री-गार्ड लगाने आदि के नाम पर भी धन का दुरुपयोग हुआ।

41. **आदेशों के प्रतिकूल कार्यवाही; जवाबदेही सुनिश्चित हो-** इन अवैध कार्यों और धन दुरुपयोग के लिए अधिकारियों व ठेकेदारों की जवाबदेही तय हो और दंडात्मक कार्यवाही की जाए।

42. **पीपल वृक्ष घटना का व्यापक संदर्भ-** पीपल वृक्ष की कटाई से हुई पक्षी-हत्या यह दर्शाती है कि वृक्ष जैव विविधता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

43. **तात्कालिक संरचनात्मक सुधार-** हर निर्माण कार्य में वृक्षों के चारों ओर न्यूनतम 1.5 मीटर का खुला स्थान छोड़ा जाए। वैज्ञानिक ट्री-बेस बनाए जाएँ और रखरखाव की SOP तैयार कराई जाए।

44. **सर्वे, जियो-टैगिंग, पुनर्वनीकरण और ऑडिट-** सभी वृक्षों का GIS आधारित सर्वे व जियो-टैगिंग की जाए। प्रभावित स्थलों पर पुनः वृक्षारोपण कराया जाए और खर्च का स्वतंत्र ऑडिट कर दोषियों से वसूली की जाए।

45. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति ने न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को छुपाते हुए झूठा शपथ पत्र एवं गलत/भ्रामक आख्या प्रस्तुत की है। समिति द्वारा किए गए निरीक्षण एवं संलग्न चित्र वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते, जिससे स्पष्ट है कि समिति के अधिकारियों ने मिलीभगत कर मा. न्यायाधिकरण को गुमराह के स्पष्ट इरादे से किया है।

46. यह कार्यवाही न केवल न्याय की प्रक्रिया के दुरुपयोग (Abuse of Process) है, बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की 227, 228, 229 आदि धाराओं (झूठा साक्ष्य एवं शपथपूर्वक झूठ बोलना) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

47. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पूर्व आदेशों का पालन न किया जाना स्पष्ट रूप से *एनजीटी अधिनियम, 2010* की धारा 26 का उल्लंघन है, जिसके अंतर्गत आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारीगण पर अधिकतम तीन

वर्ष का कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना है कि इस प्रकरण में पारित आदेशों की अवहेलना करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/विभागीय प्रमुखों के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाए ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बनी रहे एवं भविष्य में आदेशों की अवहेलना न हो।

आपत्ति के आधार (Grounds of Objection)

48. समिति ने वास्तविक स्थल निरीक्षण किए बिना केवल कागजी एवं हेरफेर किए गए फोटोग्राफ्स पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की।

49. रिपोर्ट में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है और झूठा शपथ-पत्र दिया है, जिससे वृक्षों का कंक्रीटीकरण कर सुखाने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों को बचाया और पर्यावरणीय क्षति छुपाई जा सके।

50. समिति के अधिकारियों पर प्रत्यक्ष रूप से वृक्षों के संरक्षण और देखभाल "ट्री गार्ड, घेरा बनाने, खाद-पानी, गुड़ाई आदि" के नाम पर करोड़ों रुपये का बंदरबांट करने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का संदेह है।

51. इस प्रकार की रिपोर्ट पर न्यायाधिकरण भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि यह सार्वजनिक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine) और संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) के विपरीत है।

प्रार्थना (Prayer)

माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र निवेदन है कि झाँसी क्षेत्र के वृक्षों का संरक्षण, संवर्धन, और सुरक्षा हेतु प्रभावी दिशा-निर्देश जारी करने के साथ निम्न कार्यवाही की जाए :

1. वर्तमान संयुक्त समिति की रिपोर्ट को अविश्वसनीय मानते हुए निरस्त किया जाए;

2. एक नई स्वतंत्र समिति (Independent Monitoring Committee) का गठन किया जाए, जिसमें शामिल हो –

    1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का प्रतिनिधि,
    2. भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) / MoEF&CC का अधिकारी,
    3. GIS/सैटेलाइट सर्वे विशेषज्ञ,

4. न्यायिक सदस्य (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) अथवा स्वतंत्र प्रतिनिधि (NGT द्वारा नामित) सम्मिलित किए जाएं;

3. नई समिति को निर्देशित किया जाए कि वह सैटेलाइट/जियो-स्पैशियल सर्वेक्षण एवं वास्तविक स्थल निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे;

4. सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों की आड़ में वृक्षों का कंक्रीटीकरण करने तथा वृक्षों को काटने/सुखाने जैसे अवैध एवं कृत्यपूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक और भारी जुर्माना आरोपित कर दंडित

5. संयुक्त समिति के अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379 के अंतर्गत झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दंडात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाए।

6. इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.08.2024 की अवहेलना करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/विभागीय प्रमुखों के विरुद्ध एनजीटी अधिनियम के तहत उपयुक्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाए ताकि न्यायिक आदेशों की गरिमा बनी रहे एवं भविष्य में आदेशों की अवहेलना न हो।

अतः न्यायहित एवं पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रार्थनाओं पर विचार कर आवश्यक आदेश पारित करने की कृपा करें।

दिनांक 15.09.2025

आवेदक/आपत्तिकर्ता

नरेन्द्र कुशवाहा (आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता)
पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128
ई-मेल-narendrakumarjhansi82@gmial.com
मो. 9452041529

10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No.11 OF2025
In
Original Application No. 1075 OF2024

NOTARY Satish Kumar Tripathi H.Q. JHANSI R.No. 53091/25 Velidity 23/4/30 GOVT. OF (INDIA)

IN THE MATTER OF:

Narendra Kushwaha ......Applicant

Versus

Union of India & Ors .....Respondents

NOTARY Satish Kumar Tripathi H.Q. JHANSI R.No. 53091/25 Velidity 23/4/30 GOVT. OF (INDIA)

<u>शपथ-पत्र</u>

शपथकर्ता मिनजानिव- नरेन्द्र कुशवाहा (आर.टी.आई. एवं पर्यावरण कार्यकर्ता) पुत्र श्री मुन्नालाल कुशवाहा पता- पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश 284128

मैं शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूं:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में आवेदक है तथा हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ हैं।
2. यह कि संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 26.05.2025 के विरुद्ध शपथकर्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति में सही-सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्ता के कारण शपथपत्र में दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथ-पत्र में अडॉप्ट किया जा रहा है जो इस शपथ-पत्र का भाग माना जावें।

मैं शपथकर्ता नरेन्द्र कुशवाहा तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त आवेदन में दाखिल संयुक्त समिति की आख्या के विरुद्ध शपथकर्ता/आवेदक की ओर से प्रेषित आपत्ति की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान से सब सच व सही है कोई बात झूठी नहीं है यह तस्दीक आज दिनांक 15-09-2025 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

शपथकर्ता
नरेन्द्र कुशवाहा

Serial No. 294 Date 15-9-25
Certified that the foregoing statement sworn before me this day at 2:35 PM
by shri Narendra Kushwaha
whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by shri ....
Received the legal fee Rs.35/- each

SATISH KUMAR TRIPATHI
Advocate
Notary Govt. of India, Jhansi (U.P.)

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, झांसी, उत्तर प्रदेश।

विषयः- भ्रष्टाचार में लिप्त झांसी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा 971 वृक्षों पक्के कार्य को हटाने के नाम पर रु. 8,45,076/- आठ लाख पैंतालीस हजार छेहत्तर रूपयों का बंदर बाट करने के बावत

महोदय,

अवगत कराना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पानुसार उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन एवं पर्यावरण संरक्षण को जनांदोलन के उद्देश्य को सफल बनाने के आलोक कई योजनाएं और अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भ्रष्टाचार में लिप्त झांसी नगर निगम के अधिकारी साजिशन सरकारी धन का बंदरबांट करने के लिए सौंदर्यीकरण और विकास कार्यो की आड़ में महानगर में लगे पीपल, बरगंद, नीम आदि वृक्षों की जड़ों तक हवा, पानी पहुंचने के लिए एक मीटर खुला घेरा छोड़े बिना ही उन वृक्षों को डामर, सीमेंट, एपेक्स, टाइल्स आदि से ढका व कंक्रीटीकरण और काटा किया जा रहा है। जिससे महानगर में हजारों वृक्ष सूख गए और सूखते जा रहे है।

जिसकी प्रार्थी द्वारा अधिकारियों को शिकायत की थी, कार्यवाही न होने पर मा. एन.जी.टी. में शिकायत की थी मा. एनजीटी द्वारा अधिकारियों को कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिये थे। समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त झांसी नगर निगम के अधिकारियों ने महानगर के 971 वृक्षों के पक्के कार्य को हटाने के नाम पर अल्पकालीन निविदा से रु. 8,45,076/- आठ लाख पैंतालीस हजार छेहत्तर रूपय निकालकर बंदर बांट कर लिया गया है।

जिसकी जानकारी प्रार्थी को झांसी नगर निगम द्वारा मा. एनजीटी में विचाधीन OA No. 1075/2024 IN EA 11/2025 में प्रेषित आख्या दिनांकित 26.05.2025 से हुई जिमसें कहा गया है कि कुल 971 वृक्षों के पक्के कार्य को हटाये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा दिनांक 23.11.2024 को अनुमानित लागत रु. 8,45,076/- निकाली गई, वर्तमान में उक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

जबकि वास्तविकता यह कि झांसी नगर निगम की ओर से कुछ जगहों पर मात्र 50-55 वृक्षों के लगभग 6X6 इंच पक्के कार्य हटाये गये है। अब भी पूरे महानगर में हजारों वृक्ष कंक्रीट उक्त निर्माण से ढके-पटे हुए है। जिन्हे श्रीमानजी द्वारा आपने निवास से कार्यालय और अन्य जगह आने-जाने पर सड़के किनारे लगे कंक्रीट उक्त वृक्षों देखा गया हो गया एवं देखा जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि परंपराएं हमें सिखाती हैं कि वृक्षों का संरक्षण करना है हमारा कर्तव्य है मुख्यमंत्री जी ने जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय परंपराओं और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सनातन धर्म की उस परंपरा का उल्लेख किया, जिसमें पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को देवताओं के साथ जोड़ा जाता है। तथा सरकार द्वारा जैव विविधता बोर्ड 'प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास' के विजन को साकार करने के लिए नए अभियान चलाए जा रहे है। वहीं झांसी नगर निगम के अधिकारी सरकारी धन का घपलाऔर भ्रष्टाचार कर सरकार की योजनाओं और अभियानों को विफल कर सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हैं।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है शीघ्र 971 वृक्षों के पक्के कार्य को हटाये जाने के नाम पर रु. 8,45,076/- का घपलाकरने के उक्त प्रकरण में आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

नोटः- उक्त शिकायत पर निष्पक्ष जांच/कार्यवाही न करने पर साक्ष्य सहित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जनता दरबार में प्रेषित की जायेगी।

दिनांक 29.05.2025

संलग्न आख्या दिनांकित 26.05.2025

भवदीय

नरेन्द्र कुशवाह

नरेन्द्र कुशवाह
सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
(पर्यावरण एवं आरटीआई कार्यकर्ता)
नि. पिछोर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश।
मो. 9452041529

Gmail Narendra Kumar <narendrakumarjhansi82@gmail.com>

नगर निगम, झांसी के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा महानगर को प्रदूषण मुक्त कराने, पर्यावरण सुधार एवं नगर को हरित एवं सुन्दर बनाने की आड़ में एवं बिना कार्य किये सरकारी धन का बंदरबांट करने के संबंध में,

1 message

Narendra Kumar <narendrakumarjhansi82@gmail.com> Wed, Jun 11, 2025 at 2:11 PM
To: secy-moef@nic.in, csup@nic.in, IGRS pccf-up <pccf-up@nic.in>, chairman@uppcb.in, ms@uppcb.in, psecup.urbandev@nic.in, commjha@nic.in, dmjha@nic.in, nagarayukta@jnnjhansi.com

सेवा में,

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ. प्र.

4. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5. नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
6. मण्डलायुक्त, झांसी मंडल, झांसी।
7. जिलाधिकारी, झांसी
8. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है किः-

1. यह कि सरकार की भू-जल संरक्षण एवं रिचार्जिगं हेतु रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली तथा पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण सम्बन्धी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर शासनादेश जारी किये जाते रहे है। जिनके अनुक्रम में संबंधित विभागों और नगर निगम द्वारा बृहद स्तर पर पूर्व में वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण/सुरक्षा हेतु कार्य किये जाते रहे है।

2. यह कि शहरों को प्रदूषण मुक्त कराने, पर्यावरण सुधार एवं नगर को हरित एवं सुन्दर बनाने हेतु शासन द्वारा घोषित राज्य वन नीति 1998 के परिप्रेक्ष्य में शहरों में हरित पट्टिका विकसित कराने हेतु शासनादेश संख्या-2085/9-आ-3-99-23 विविध-99 दिनांक 20 मई, 1999 जारी किया गया है। जिसमें शहरों की सड़कों और कालोनियों में हरित पट्टिका विकसित और वृक्षारोपण और वृक्षों की सुरक्षा/संरक्षण करने हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिनका विगत 5 वर्षों के दौरान पालन नहीं किया जा रहा है।

3. यह कि राज्य वन नीति 1998 के तहत झांसी शहर की सड़कों और कालोनियों में विकसित हरित पट्टिका और वृक्षारोपण में लगाये गये पीपल, बरगद, नीम आदि के हरे-भरे वृक्षों को विगत 5 वर्षों के दौरान निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा सौंदर्यीकरण और विकास कार्यो की आड़ में हरे-भरे वृक्षों के तने को डामर, सीमेंट, एपेक्स, टाइल्स आदि से ढक एवं कंक्रीटीकरण कर दिया

है। जिससे झांसी शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों के किनारे लगे लगभग 65 प्रतिशत वृक्ष सूखकर नष्ट भी चुके हैं।

4. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी संलग्नक शासनादेश संख्या-2085/9-आ-3-99-23 विविध-99 दिनांक 20 मई, 1999 व शासनादेश संख्या-3348/आठ-1-10-17विविध/03टी.सी.-1 दिनांक 5 अगस्त, 2010 के व शासनादेश संख्याः1810/नौ-7-12-117एल./2000 दिनांक 22 जून, 2012 और शासनादेश संख्या-1022/नौ-5-2018-92सा/18 दिनांक 23 मार्च 2018 के साथ-साथ अन्य शासनादेशों में संबंधित विभागों और नगर निगम को बृहद स्तर पर वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण/सुरक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये गये है। जिनका निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर विगत 5 वर्षो से पालन नहीं किया जा रहा है।

5. यह कि शासनादेशों के अतिरिक्त माननीय शीर्ष न्यायालय और मा. एनजीटी द्वारा समय-समय पर अपने आदेशों में भी वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण/सुरक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे है। जिनका निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा विगत 5 वर्षो से पालन नहीं किया जा रहा है।

6. यह कि विगत 5 वर्षों से निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उपरोक्त शासनादेशों एवं आदेशों में दिये गये दिशा-निर्देश के विपरीत शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों पर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यो की आड़ में वृक्षों का कंक्रीटीकरण और डी-कंक्रीटीकरण कर सरकारी धन (करोड़ों रुपयों) का बंदरबांट किया जा रहा है।

7. यह कि विगत 5 वर्षों से निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा वृक्षारोपण और वृक्षों के संरक्षण/सुरक्षा हेतु वृक्षों के थाले बनाने, वृक्षों को पानी, खाद डालने, गुड़ाई करने और ट्री-गार्ड लगाने के नाम पर सरकारी धन (करोड़ों रुपयों) का बंदरबांट किया जा रहा है।

8. यह कि ऐसी स्थिति में शासनादेशों एवं आदेशों में दिये गये दिशा-निर्देश के विपरीत सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य करने व वृक्षों के थाले बनाने, वृक्षों को पानी, खाद डालने, गुड़ाई करने और ट्री-गार्ड लगाने के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट करने वाले दोषी नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों से बंदरबांट किये गये सरकारी धन की वसूली, वृक्षों की हुई हानी की भरपाई और वृक्षों को डी-कंक्रीटीकरण कराकर वृक्षों के थाले बनाने की कार्यवाही किया जाना अति-आवश्यक है। ताकि अन्य कोई दोबारा ऐसे कुकृत्य करने की कोशिश न करें।

9. यह कि झांसी शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों किनारे लगे वृक्ष जो नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा किये गये कुकृत्य (कंक्रीटीकरण) के कारण सूखकर नष्ट हो गये और सूख रहे वृक्षों को डी-कंक्रीटीकरण कराने एवं रिक्त स्थानों पर पुनः वृक्ष लगाने हेतु आने वाले व्यय की भरपाई/वसूली दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों से किया जाना अति-आवश्यक है।

10. यह कि झांसी शहर को प्रदूषण मुक्त कराने, पर्यावरण सुधार एवं नगर को हरित एवं सुन्दर बनाने के लिए शासनादेशों एवं माननीय शीर्ष न्यायालय और मा. एनजीटी के नियमों, आदेशों, गाइडलाइन के अनुसार शीघ्र झांसी शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों के कच्चे क्षेत्र व किनारों पर वृक्षारोपण और वृक्षों की सुरक्षा व संरक्षण किया जाना अति-आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त शिकायती बिंदुओं के अनुसार जांच व कार्यवाही कर दिशा-निर्देश के विपरीत शहर की कालोनियों, कार्यालयों और सड़कों पर सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य करने की आड़ किये गये (सरकारी धन) बंदरबांट की भरपाई/वसूली दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों से करने, दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने, वृक्षों को डी-कंक्रीटीकरण कराने एवं रिक्त स्थानों पर पुनः वृक्ष लगाने तथा वृक्ष लगाने, वृक्षों को डी-कंक्रीटीकरण कर थाले बनाने में आने वाले व्यय की भरपाई/वसूली दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों कराने का कष्ट करें।

अवलोकनार्थ हेतु उपरोक्त शासनादेश संलग्न है।

भवदीय
(नरेन्द्र कुशवाहा)
(पर्यावरण एवं आर.टी.आई कार्यकर्ता)
पिछोर, थाना नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश
मो. 9452041529

---

4 attachments

2085-00-01.pdf
38K

1810-9-7-12 dt 22-06-12.pdf
1846K

3348-10-11-29-10-tree.pdf
1535K

NV-5-1022-23-03-18-.pdf
1307K

ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म विवरण

जन सूचनाअधिकारी का विवरण :-	प्रिंट
*** लोक प्राधिकारी**	नगर निगम झाँसी
आरटीआई आवेदक का व्यक्तिगत विवरण:-	
पंजीकरण संख्या	NGNJH/R/2025/60042
फाइलिंग की तारीख	11/06/2025
*** नाम**	Narendra kushwaha
लिंग	पुरूष
*** पता**	pichhor, behind medical college
पिन कोड	284128
राज्य	Uttar Pradesh
शैक्षिक स्थिति	शिक्षित
	स्नातक तथा अधिक
दूरभाष	विवरण प्रदान नहीं किया गया
मोबाईल	+91-979323XXXX View
ईमेल	kushwaha2001[at]gmail[dot]com
नागरिकता	भारतीय
*** क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है ?**	नहीं
RTI आवेदन का विवरण u/s 6(1) :-	
((मांग की गई जानकारी का विवरण (500 शब्द तक))	
*** जानकारी का विवरण मांगा**	नगर निगम झांसी से सम्बंधित सन् 2020 से सूचना देने की तिथि तक 9 बिन्दुओं की मांगी गई निम्नलिखित सू प्रमाणित प्रति में उपलब्ध कराएं। 1. नगर निगम झांसी के समस्त वार्ड व क्षेत्र की उन सड़कों, नालों, नालियों, ताल जलाशयों, बागों, पार्को, हरित पट्टिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनका निर्माण, मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य नगर निगम झांसी द्वारा कराया गया है। 2. नगर निगम झांसी के समस्त वार्ड व क्षेत्र की उन सड़कों, नालों, नालियों, तालाबों/जलाशयों, बागों, पार्को, हरित पट्टिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं, जहां वृक्षारोपण किया गय वृक्षों के थाले बनाये एवं ट्री-गार्ड लगाये गये। 3. उन अधिकारियों, फर्मो, संस्थानों और ठेकेदारों के नाम की जानका उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा बिन्दु संख्या 1व 2 में उल्लेख कार्य कराये गये है। 4. नगर निगम झांसी द्वारा खर्च उस धनराशी के बिल और वाउचर उपलब्ध कराये। जो वृक्षारोपण कराने और वृक्षों के संरक्षण/सुरक्षा हेतु वृक्षों के थ बनाने, वृक्षों को खाद, पानी डालने, वृक्षों की गुड़ाई करने और ट्री-गार्ड लगाने में खर्च की गई है। 5. उन अधिकारियों, संस्थानों और ठेकेदारों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा वृक्षों की गुड़ाई करने और वृक्षों को खाद, पानी ड का कार्य किया गया और किया जा रहा है। 6. उन अधिकारियों, फर्मो, संस्थानों और ठेकेदारों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा वृक्षों का कंक्रीटीकरण किया गया है। 7. उन अधिकारियों, फर्मो, संस्थानों और ठेकेदारों की जा उपलब्ध कराएं, जिनको वृक्षों के संरक्षण और सुरक्षा का कार्य दिया गया है। 8. उन अधिकारियों, फर्मो, संस्थानों अ ठेकेदारों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा वृक्षों के डी-कंक्रीटीकरण का कार्य कराया गया है। 9. आवेदक दिनांक 11 जून, 2025 को नगर निगम झांसी की ई-मेल आईडी nagarayukta@jnnjhansi.com पर की गई शि पर समस्त जांच व कार्यवाही जानकारी उपलब्ध कराएं, जो संलग्न है। नोट- 1– मांगी गई सभी जानकारियां हिंदी प्रदान करें । 2 – आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम की धारा 6(3) का उपयोग करें। 3 –मांगे गये सभी बिन्दूओ की जानकारियाँ एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं उन दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति मेरे ईमेल पता narendrakumarjhansi82@gmail.com पर भेजने के साथ-साथ सभी सूचनाएं कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंश मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली के पत्रांक 1/1/2013 आईआर, दिनांक: 23/03/20 आलोक में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।
*** संबंधित पीआईओ**	DEVENDRA YADAV
पदनाम	tax superintendent
फोन	842946XXXX View
ईमेल	jnnjhansi[at]gmail[dot]com
समर्थनकारी दस्तावेज ((केवल पीडीएफ में 1 एमबी तक))	

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, झाँसी।

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
नगर निगम झाँसी।

पत्रांकः 1096 /ज0का0वि0/न0नि0/2025–26 दिनांकः– 11/07/2025

विषयः– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र कुशवाहा द्वारा दिनांक 11.06.2025 को NGNJH/R/2025/60042 चाही गयी सूचना जो कि दिनांक 16.06.2025 को प्राप्त हुई जनकार्य विभाग से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है।22/नोडलज0सू0अ0/न0नि025–26 दिनांक 12.06.2025)

क्र0 सं0	चाही गयी सूचना	सूचना का उत्तर
01	नगर निगम झांसी से सम्बंधित सन् 2020 से सूचना देने की तिथि तक बिन्दुओं की मांगी गई निम्नलिखित सूचना प्रमाणित प्रति में उपलब्ध कराएं।। नगर निगम झांसी के समस्त वार्ड व क्षेत्र की उन सड़कों, नालों, नालियों, तालाबों जलाशयों, बागों, पार्को, हरित पट्टिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनका निर्माण, मरम्मत और सौंदर्गीकरण का कार्य नगर निगम झांसी द्वारा कराया गया है।	सूचना विस्तृत है जो कि जन–सूचना अधिनियम 2015 4(2)(ख)(पॉच)के अन्तर्गत आन्छादित नहीं है।
02	नगर निगम झांसी के समस्त वार्ड व क्षेत्र की उन सड़कों, नालों, नालियों, तालाबों जलाशयों, बागों, पार्को, हरित पट्टिकाओं की जानकारी उपलब्ध कराएं, जहां वृक्षारोपण किया गया और वृक्षों के थाले बनाये एवं टी–गार्ड लगाये गये।	तदैव।
03	उन अधिकारियों, फर्मों, संस्थानों और ठेकेदारों के नाम की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा बिन्दु संख्या 1 व 2 में उल्लेख कार्य कराये गये है।	सूचना संकलित नहीं है।
04	नगर निगम झांसी द्वारा खर्च की गई उस धनराशी के बिल और वाउचर उपलब्ध कराये। जो वृक्षारोपण कराने और वृक्षों के संरक्षण सुरक्षा हेतु वृक्षों के थाले बनाने, वृक्षों को खाद, पानी डालने, वृक्षों की गुड़ाई करने और ट्री–गार्ड लगाने में खर्च की गई है।	तदैव।
05	उन अधिकारियों, फर्मों, संस्थानों और ठेकेदारों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा वृक्षों की गुड़ाई करने और वृक्षों को खाद, पानी डालने का कार्य किया गया और किया जा रहा है।	तदैव।
06	उन अधिकारियों, फर्मों, संस्थानों और ठेकेदारों की जानकारी उपलब्ध करापे, जिनके द्वारा वृक्षों का कंकीटीकरण किया गया है।	तदैव।
07	उन अधिकारियों, फर्मों, संस्थानों और ठेकेदारों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनको वृक्षों के संरक्षण और सुरक्षा का कार्य दिया गया है।	तदैव।
08	उन अधिकारियों, फर्मों, संस्थानों और ठेकेदारों की जानकारी उपलब्ध कराएं, जिनके द्वारा वृक्षों के डी–कंकीटीकरण का कार्य कराया गया है।	वर्तमान में प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारधीन है जिसमें नगर निगम प्रतिवादी है। प्रकरण सम्बन्धित किसी भी सूचना को उपलब्ध कराने से आप द्वारा वाद को प्रभावित किया जा सकता है। अतः प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लम्बित रहने तक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।
09	आवेदक द्वारा दिनांक 11 जून. 2025 को नगर निगम झांसी की ई–मेल आईडी negarayukta@jhansi-com पर की गई शिकायत पर समस्त जांच व कार्यवाही जानकारी उपलब्ध कराएं, जो संलग्न है। नोट–1– मांगी गई सभी जानकारियां हिंदी भाषा में प्रदान करें 2 आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम की धारा 6(3) का उपयोग करें।3 मांगे गये सभी बिन्दुओ की जानकारिया¡ एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं उन दस्तावेजों की एक सत्यापित प्रति मेरे ईमेल पता narendrakumarjhansi82@gmail-com पर भेजने के साथ–साथ सभी सूचनाएं कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली के पत्रांक 1/1/2013 आईआर, दिनांकरू 23/03/2016 के आलोक में अपनी वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।	तदैव।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, झाँसी।

प्रतिलिपिः–

1 श्री नरेन्द्र कुशवाहा पताः– पिछोर मेडीकल कॉलेज के पीछे झाँसी।
मो0 9793235108

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, झाँसी।

P.T.O. 23

ऑनलाइन आरटीआई अपील फॉर्म विवरण

जन सूचनाअधिकारी का विवरण :-	प्रिंट
*** लोक प्राधिकारी**	नगर निगम झाँसी
अपीलकर्ता का व्यक्तिगत विवरण:-	
*** नाम**	Narendra kushwaha
लिंग	पुरूष
*** पता**	pichhor, behind medical college
पिन कोड	284128
राज्य	Uttar Pradesh
शैक्षिक स्थिति	शिक्षित
दूरभाष	विवरण प्रदान नहीं किया गया
मोबाईल	+91-979323XXXX View
ईमेल	kushwaha2001[at]gmail[dot]com
नागरिकता	भारतीय
*** क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है ?**	नहीं
प्रथम अपील विवरण u/s 19(1) :-	
पंजीकरण संख्या	NGNJH/A/2025/60025
फाइलिंग की तारीख	08/08/2025
लोक प्राधिकरण के अपीलीय अधिकारी	VIRENDRA KUMAR
फोन	941590XXXX View
ईमेल	3302
*** अपील का आधार**	Provided Incomplete,Misleading or False Information
((मांग की गई जानकारी का विवरण (500 शब्द तक))	
*** प्रार्थना या राहत की मांग की**	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील की pdf संलग्न है।
समर्थनकारी दस्तावेज ((केवल पीडीएफ में 1 एमबी तक))	
RTI आवेदन का विवरण u/s 6(1) :-	
पंजीकरण संख्या	NGNJH/R/2025/60042
फाइलिंग की तारीख	11/06/2025
लोक प्राधिकरण के जनसुचना अधिकारी	DEVENDRA YADAV
पदनाम	tax superintendent
फोन	842946XXXX View
ईमेल	jnnjhansi[at]gmail[dot]com
पीआईओ आदेश / निर्णय संख्या	विवरण प्रदान नहीं किया गया
*** पीआईओ आदेश / निर्णय तिथि**	

P.T.O. 24

सेवा में,

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
नगर निगम, झाँसी, उत्तर प्रदेश।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील – अपूर्ण/गलत/प्रत्युत्तरित सूचना के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैंने दिनांक 11.06.2025 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन संख्या NGNJH/R/2025/60042 के (ऑन-लाईन) माध्यम से नगर निगम झाँसी से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। उक्त आवेदन का जवाब जन सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचनाएं छिपाने के उद्देश्य से अपूर्ण/गलत/प्रत्युत्तरित पत्रांक 1026 दिनांक 11.07.2025 के माध्यम से दिया गया।

किन्तु उक्त उत्तर में अधिकांश सूचनाएं अधूरी, अस्पष्ट, तथा गलत व्याख्या एवं अनुचित रूप से RTI अधिनियम की धारा 2(एफ)/8(1) का उल्लेख कर टाल दी गई हैं, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना एवं उद्देश्य के प्रतिकूल है।

आपत्तिजनक बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. बिंदु संख्या 01 और 02 में RTI की धारा 2(एफ) का गलत उपयोग कर सूचना देने से मना किया गया है, जबकि मांगी गई सूचना पूरी तरह विभाग के रिकॉर्ड में और जनहित में है।

2. कई बिंदुओं (जैसे 03, 04, 05, 06, 07) में स्पष्ट रूप से "सूचना उपलब्ध नहीं है" कहकर जवाब टाल दिया गया है, जबकि यह जानकारी विभागीय अभिलेखों में उपलब्ध है और जनहित में है।

3. बिंदु संख्या 08 औ 09 में यह कहा गया वर्तमान में प्रकरण मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारधीन है सिसमें नगर निगम है। प्रकरण सम्बन्धित किसी भी सूचना को उपलब्ध कराने से आप द्वारा वाद प्रभावित किया जा सकता है। अतः प्रकरण मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लंबित रहने तक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। जबकि यह जानकारी साक्ष्य के रूप में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रेषित की जानी अतिआवश्यक है ताकि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा महानगर को प्रदूषण मुक्त कराने व पर्यावरण सुधार एवं नगर को हरित एवं सुन्दर बनाने की आड़ में एवं बिना कार्य किये सरकारी धन का बंदरबांट करने और मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में झूठा शपथ-पत्र देने की सच्चाई सामने आ सकें।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि:

1. उपरोक्त बिंदुओं पर पुनः परीक्षण करते हुए सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

2. जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई भ्रामक व टालमटोल उत्तरों के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

3. जन सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वे अधिनियम की भावना अनुसार सूचना पारदर्शिता से उपलब्ध कराएं।

साथ में मूल आरटीआई आवेदन, उत्तर की प्रति संलग्न हैं।

दिनांक 08.08.2025

अपीलार्थी

नरेन्द्र कुशवाहा

नरेन्द्र कुशवाहा

पिछोर, मेडिकल कॉलेज के पिछे, झांसी।

वृक्षों के तने की लगभग 6 Inch परिधि से कंक्रीट हटाकर लगाई गई ईंटें, फोटोग्राफ (दिनांक 15.09.2025)

नगर निगम क्षेत्र की सड़कों के पेड़ों के ईर्द-गिर्द लगाएं जा रहे एपेक्स (दिनांक 8/10.09.2025)

नगर निगम परिसर के गेट बाहर की सड़क के कंक्रीट युक्त पेड़ (दिनांक 10.09.2025)

नगर निगम परिसर में स्थित कंक्रीट युक्त पेड़ (दिनांक 10.09.2025)